सप्तदश

बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-4

शुक्रवार, तिथि 04 चैत्र, 1944 (श०) / 25 मार्च, 2022 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या **05**

(1)	कृषि विभाग	-	-	02
(2)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	-	-	02
(3)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	-	-	01
			कुल योग --	05

राशि की वसूली करना

'क'-88. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति, बिहार, पटना के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2018-19 तक धान/सी0एम0आर0 की खरीद, मूल्य प्रणाली समर्थन के तहत भारत सरकार से सब्सिडी प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने से 212.50 करोड़ की खाद्य सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई, यदि हाँ, तो ससमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराने वाले पदाधिकारियों को चिह्नित कर उनसे उक्त सब्सिडी की राशि वसूली करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जनगणना कराना

'ख'-85. श्री तेजस्वी प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-128 राघोपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि --

(1) क्या यह बात सही है कि पिछले सत्र में राज्य सरकार द्वारा सदन में घोषणा की गई थी कि केन्द्र सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराती है तो राज्य सरकार अपने संसाधन से राज्य में जातिगत जनगणना करायेगी ;

(2) क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना नहीं कराये जाने की सूचना सदन में दी गई है ;

(3) क्या यह बात सही है कि सदन में हुई इस घोषणा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा बजट में जातिगत जनगणना हेतु बजट में राशि का प्रावधान नहीं किया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में जातिगत जनगणना कराने हेतु बजट में राशि के प्रावधान का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

99. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 18 दिसम्बर, 2021 को प्रकाशित शीर्षक "प्रति बोरा 60 रुपये किसानों की जेब से जा रहे, लगेगी 210 करोड़ की चपत" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि --

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में धान खरीद के लिये बोरा की दर तय करने में लागत की अनदेखी के कारण राज्य के किसानों को 210 करोड़ की चपत लग रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के किसानों को प्रति क्विंटल धान की खरीद पर 75 रुपये बोरा की खरीद लागत में राज्य सरकार एजेंसियों को मात्र 15 रुपये देती है और 10 रुपये मिल मालिकों से लेने का प्रावधान है, जिसमें किसानों को प्रति क्विंटल धान की बोरों की लागत 25 रुपये से अधिक व्यय करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के किसानों को होने वाली 210 करोड़ रुपया की हानि की भरपाई के लिये कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'क'-दिनांक 17 मार्च, 2022 को सदन से स्थगित प्रश्न ।

'ख'-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 108, दिनांक 14 मार्च, 2022 द्वारा संसदीय कार्य विभाग में स्थानान्तरित ।

पुनः संसदीय कार्य विभाग के पत्रांक 206, दिनांक 15 मार्च, 2022 द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में स्थानान्तरित ।

आय बढ़ाना

100. श्री अख्तरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 12 अगस्त, 2021 में छपी खबर के शीर्षक "किसानों की आय कैसे हो दोगुनी के आलोक में" क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि --

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के किसानों की औसत आय 3,558 रुपया प्रतिमाह है, जबकि राष्ट्रीय औसत आय 6,426 रुपया प्रतिमाह है ;

(2) क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार के हाल के रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किसानों का खर्च 5,485 रुपये है जो आय से बहुत ज्यादा है, जिसके कारण राज्य के किसानों को जीवन-यापन में काफी कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के किसानों की आय को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिये कौन-सी उपायों पर कबतक विचार करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुदान देना

101. डॉ0 रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 28 फरवरी, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "कोरोना की मार, प्रदेश के किसानों को नहीं मिला कृषि यंत्रों पर अनुदान" के आलोक में क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 17,214 किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान मिला था, वहीं वित्तीय वर्ष 2020-21 में महज 5,085 पम्पसेट और थ्रेसर पर किसानों को अनुदान मिला, जबकि सरकार किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 80 प्रतिशत तक अनुदान देती है, ऐसे में इस योजना से हजारों किसान वंचित रह गये, यदि हाँ, तो क्या सरकार वंचित किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 25 मार्च, 2022 (ई0) ।

शैलेंद्र सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 122(एल0ए0), 2021-22-डी0टी0पी0-550